संख्या-56/2019/1306/छप्पन-2019-18/02 टी.सी.

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ : दिनांक: 07 अगस्त, 2019

विषय :रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित श्रावस्ती एवं मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 191/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 27 जून, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित श्रावस्ती एवं मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1602.036 लाख (रूपए सोलह करोड़ दो लाख तीन हजार छ: सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित श्रावस्ती एवं मुरादाबाद एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा गठित आगणन रू0 4442.24 लाख (रू0 2316.57 लाख + रू0 2125.67 लाख) के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उक्त परियोजनाओं की लागत रू0 4005.09 लाख +जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय (रू0 2097.47 लाख श्रावस्ती एयरपोर्ट हेतु + रू0 1907.62 लाख मुरादाबाद एयरपोर्ट हेतु +जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय) ऑकलित की गई है। शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु रू0 4005.09 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 1602.036 लाख (रूपए सोलह करोड़ दो लाख तीन हजार छ: सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रशासकीय रूप से अनुमोदित की गई प्रथम किश्त की उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने के उपरान्त अनुमोदित कुल धनराशि रू0 4005.09 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 1602.036 लाख (रूपए सोलह करोड़ दो लाख तीन हजार छ: सौ मात्र) अवमुक्त की जानी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित श्रावस्ती एवं मुरादाबाद एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

विकसित किए जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1602.036 लाख (रूपए सोलह करोड़ दो लाख तीन हजार छः सौ मात्र) (रू0 838.988 लाख श्रावस्ती एयरपोर्ट हेतु + रू0 763.048 लाख मुरादाबाद एयरपोर्ट हेतु) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(11)(च) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 में इंगित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(1) एवं प्रस्तर- 2(8)(ड़) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

संख्याः 56/2019/1306(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन, लखनऊ/श्रावस्ती/मुरादाबाद ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, श्रावस्ती/मुरादाबाद ।
(6) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।